

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान

नाम

बागाम

शिवसिंह

किस्म मुकदमा

223

मि.नं.

154/2013


सम

अभिभाषक अपीलान्त

बी.डी. जोशी

अभिभाषक रेसपोडेन्ट

श्री. मो. ए. न. श्री. पी. न. 1/06

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
17.5.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्तगण एवं उनके अधिनो को रद्द-रद्द कर तीन बार आवाने लगवायी गयी। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्तगण एवं अधिनो अपीलान्त के अन्तर्गत 6.10.23 से अनुपस्थित रह रहे हैं। अतः अपीलान्तगण एवं अधिनो अपीलान्त के अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अदालत शाही, अदालत पैरवी में खासियत की जाती है। पत्रावली फिलहाल शुभ होकर बाह तामील तामील दामिल दामिल हो</p>	 <p>(ममता सुनारी निवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>

- ✓ 12- हीराका ल वत्स पेमा भील निवासी थोवड़िया कुई
तहसील झालरापाटा जिला झालावाड़
- ✓ 13- धावूवाई पुत्री पेमा पत्नीप्यारा जाति भील निवासी भूमडा
तहसील झालरापाटा जिला झालावाड़
- ✓ 14- नाराणीवाई पुत्री पेमा पत्नी गेडा जातिभील निवासी
शिरनिया तहसील झालरापाटा जिला झालावाड़
- ✓ 15- कमलाबाई पुत्री पेमा जी पत्नी पूरीलाल जाति भील निवासी
डुंगरगाँव तहसील झालरापाटा जिला झालावाड़
- ✓ 16- रामशिंह वत्स बद्रीलाल जाति भील निवासी गा दिया
तहसील झालरापाटा जिला झालावाड़
- ✓ 17- बदामबाई पुत्री बद्रीलाल जाति भील निवासी यजूरी
तहसील झालरापाटा जिला झालावाड़
- ✓ 18- राजस्थान सरकार जे तहसील झालरापाटा जिला झालावाड़

— रत्नोडेन्द्र

अमील बनाराजी पैसला व संशोधित फाईनल डिफ्री
दिनांक 10-1-2012

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि इस मुकदमे में प्रारम्भिक डिफ्री
दिनांक 7-7-2011 को पारित की गई थी इसकी पास्ता में फाईनल डिफ्री
दिनांक 17-8-2011 को बनाई गई थी जिसमें अमीलान्ट रमेश, मोहनबाई,
प्रेमबाई के पिता व छमाबाई के पति मृतक धन्ना भील निवासी
थोवड़िया को प्रातिवादी नम्बर 13 व प्रातिवादी नम्बर 14 नानूबाई
अमीलान्टका 1/2 हिस्सा भी बंटवारेमें दिया जाकर उक्तो 7 बीघा
16 बिस्वा जमीन बंटवारेमें ही गई थी इसकेबाद दिनांक 10-1-2012
को संशोधित डिफ्री जारीकी गई और उते केवल 3 बीघा 18 बिस्वा
जमीन बंटवारेमें दी गई इससे असन्तुष्ट होकर यह अमील निम्न कारणों
से प्रस्तुत है:-

- 1- यह कि अधिनस्थान्यायालय का अधिशासिकांक 10-1-2012 विभाष
कानून एवं फावली संग्रहणार के सर्वथा विपरित है।

अमील